राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ13/1/3/जिला मार्ग./वीएस/डीईएस/2019/01

दिनांकः– 1-1-2021

परिपत्र

विषयः– मृत्यु प्रमाण पत्र मे मृतक की एक से अधिक पत्नी होने पर नाम दर्ज करने के संबंध में।

जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। किसी व्यक्ति (पुरूष) की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र में विवाहित पत्नी का नाम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, के प्रावधान के अन्तर्गत एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के दिशानिर्देशानुसार दर्ज किया जाता है।

परन्तु जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार से ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे है जिसमे मृतक (पुरूष) की मृत्यु होने पर मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो रहे है और वह स्वंय को मृतक की पत्नी बताती है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र मे नाम दर्ज करने हेतु दावा प्रस्तुत करती है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अतः उपरोक्त प्रकार के प्रकरण पर निम्नानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित की जावेंः–

1. **मृतक का धर्म, हिन्दू होने की स्थिति मेंः–** हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के प्रावधानुसार विवाह के समय किसी भी पक्षकार का जीवित पति/पत्नी नही होना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई विवाह धारा 5 के खण्ड (1) मे उल्लेखित शर्तो का उल्लघंन करता है तो वह अकृत और शून्य होगा। अतः प्रथम विवाहित पत्नी के जीवित रहते हुए अथवा प्रथम पत्नी से विधिक विवाह विच्छेद नही होने पर भी दूसरी स्त्री से किया गया विवाह कानूनी तौर पर अकृत और शून्य माना जाएगा एवं प्रथम पत्नी का नाम ही मृत्यु प्रमाण पत्र मे दर्ज किया जाएगा।

2. **मृतक का धर्म, मुस्लिम होने की स्थिति मेंः–** भारतीय मुस्लिम Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 के द्वारा शासित होते हैं। Shariat (law) के अन्तर्गत मुस्लिम में एक से अधिक विवाह मान्य हैं। कुरान के अन्तर्गत मुस्लिम में एक साथ चार तक विवाह मान्य हैं। परन्तु राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के लिए एक से अधिक विवाह राज्य सेवा नियम के अन्तर्गत मान्य नही होगें। अतः ऐसी स्थिति मे मृतक (पुरूष) के मृत्यु प्रमाण पत्र में एक से अधिक परन्तु अधिकतम चार जो विवाह पंजीकरण के समय अस्तित्व मे हों का नाम दर्ज किया जा सकता हैं।

यह भी उल्लेखनीय है की उक्त दोनों स्थितियों मे रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) स्वयं की संतुष्टि पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र मे मृतक की एक से अधिक पत्नि होने पर नाम दर्ज करेगा तथा यदि कानूनी वैद्यता के बारे मे कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तब उसका निर्णय सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही किया जाएगा।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव